<u>कार्यवाही विवरण</u>

मेसर्स श्री बालाजी मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–डूमरपारा, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित डोलोमाईट माईनिंग क्षमता–1,50,000 टीपीए से 3,40,393.16 टीपीए के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 27.05.2017 दिन–शनिवार को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम–डूमरपारा मरघटी के पास, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मेसर्स श्री बालाजी मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–डूमरपारा, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित डोलोमाईट माईनिंग क्षमता–1,50,000 टीपीए से 3,40,393.16 टीपीए के** लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में **समाचार पत्रों स्थानीय समाचार पत्र नवभारत, बिलासपुर एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में दिनांक 25.04.2017** के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार **लोक सुनवाई दिनांक 27.05.2017 दिन–शनिवार को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम–डूमरपारा मरघटी के पास, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जनसामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर–जांजगीर–चांपा, जिला पंचायत कार्यालय–जांजगीर–चांपा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, **कार्यालय ग्राम पंचायत डूमरपारा, कार्यालय ग्राम पंचायत डेरागढ़, कार्यालय ग्राम पंचायत छितापण्डरिया, कार्यालय ग्राम पंचायत बाराद्वार–बस्ती, कार्यालय ग्राम पंचायत लवसरा, कार्यालय ग्राम पंचायत बेल्हाडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत सकरेली, कार्यालय ग्राम पंचायत दर्रभाठा एवं कार्यालय नगर पंचायत नया बाराद्वार, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार,

टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में पत्र प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **27.05.2017 दिन–शनिवार को समय प्रातः 11.23 बजे स्थान ग्राम–डूमरपारा मरघटी के पास, तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री डी. के. सिंह, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जन सामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई है।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री पुष्पेन्द्र कुमार राठौर, ग्राम–डूमरपारा :–** प्लांट चला रहा है, क्या किया है ? गंदगी फैलाया है। मैं पूछना चाहता हूं पर्यावरण के लिए क्या किया है ?

2. **श्री मूलचंद सतनामी, डूमरपारा. वार्ड नं. 16 :–** कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम के लोग जी खा रहे हैं, उन्हें तंग करने का ऐसा कार्य किया जा रहा है। इस गांव का मैं मुखिया हूं। कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है।

3. **श्री सुनंदा रेड्डी, एनवायरमेंटल एनजीओ :–** मेरी शुभकामना, प्रबंधन का समर्थन है। औद्योगिक विकास का समर्थन करता हूं। 40 करोड़ भारत के लोग रोजगार के अवसर का इंतजार कर रहे हैं। हवा, पानी का सर्वेक्षण किया हूं। यहां बहुत ही अच्छा है। पानी का विश्लेषण किया हूं, अच्छा है। वृक्षारोपण के लिए यहां सुविधाजनक स्थिति है। यहां वर्षा जल का भंडारण के लिए टैंक स्थापित करें। वर्षा जल का संचयन का काम किया जाये। इकोलॉजिकल बैंलेंस के लिए वृक्षारोपण 40 से 45 प्रतिशत आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि उद्योग प्रबंधन, ग्रामवासी को हर प्रकार की सहायता प्रदान करे।

4. **श्री राजेश कुमार राठौर, सक्ती :–** यहां खनिजों का वास्तव में खनन हो रहा है। किन्तु जनपद पंचायत सक्ती को एक भी लाभांश नहीं मिल रहा है। खनिज विभाग से मैं जानना चाहूंगा कि जो विगत वर्ष खनन हुआ है उसका लाभांश सक्ती को मिला है क्या ? लाभांश का 67 प्रतिशत भाग संबंधित जनपद पंचायत को जाता है। 33 प्रतिशत शासन को जाता है। डूमरपारा में पानी, रोड, बिजली आदि की आवश्यकता है। यह गौण खनिज 2014–15 से आता है। उस लाभांश को हमारे क्षेत्र को प्रदान करें। जनपद क्षेत्र में खनन होने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसका निराकरण किया जाये। लांभांश कहां–कहां जाना हैं ? लाभांश संबंधित ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। रायल्टी का हक संबंधित ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। नागरिकों को जो कहा गया है उस पर खरा उतरे।

5. **श्री दूजराम साहू, डूमरपारा :–** ग्राम डूमरपरा में स्थापित श्री बालाजी कंपनी वर्ष 2003 से संचालित हैं। इनके द्वारा ग्राम विकास के साथ स्कूल एवं हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाना था, किन्तु नहीं कराया गया है। डस्ट के कारण किसानो की जमीन बंजर हो गयी है, उनकी स्थिति दयनीय हो गई और कई किसान आत्महत्या भी कर लिये। शरीर कैंसरग्रस्त हो जाता है। ग्रामीण रोग से ग्रसित होकर अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। खदान का पानी बहाने से फसल का उत्पादन खतम हो जाता है। इस समस्याओं का निराकरण हेतु उचित कार्यवाही करें।

6. **श्री राजू बंजारे, डूमरापरा :–** यहां पर जो खदान खुल रहा है उससे ग्रामवासियों को कोई भी लाभ नही मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। खदान नहीं खुलना चाहिए।

7. **श्री एच. मधुबाबू, पर्यावरण कार्यकर्ता, हैदराबादः—** प्राथमिकता के आधार पर युवकों को रोजगार देना चाहिए। पर्यावरण के लिए के लिए प्लांटेशन, पीने का पानी देना चाहिए। रोड का डेवलपमेंट करना चाहिए। वाटर स्प्रींकलर कर रोड पर डस्ट रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे।

8. **श्री उत्तम कुमार बंजारे, डूमरपारा :—** जो यहां खदान खुली है जो पैसा खा रहे हैं वो तो खा रहें। हम तो बाहर कमाने जाते है। हमको कोई काम नहीं मिलता है। यहां कोई काम नहीं होता। पानी के अभाव में जबरदस्ती खेत को बेचना पड़ता है। मैं कहां रहूं ? मेरा एक भी खेत नहीं है मुझे काम नहीं मिला है तो मैं क्या पैसा को खाउंगा। इतना पुलिस यहां क्यों आई है ? यदि खदान खुलेगा तो समझ लेना पैसा खाया गया है। बाहर का आदमी है कोई काम नहीं करेगा, उसे केवल पैसा से मतलब है। सरकार भी कुछ नहीं करेगा। उसे फायदा है तो बढ़ाया जा रहा है। हम तो गरीब हैं और कमाने के लिए बाहर जाते हैं। सरकार कितना भी वादा करे वह पानी के मोल के बराबर है। यहां हर सरपंच पैसा लेकर खुलवाते है। हमारे गांव के आदमी कितने लोग लगे हैं काम में ? यहां गांव में क्या विकास हो रहा है ? बरसात में रोड में चलने में परेशानी होती है।

9. **श्री बंशीलाल साहु, डूमरपारा, पंच वार्ड नं. 08 :—** खदान खुला है। 2008 से मैं काम कर रहा हूं। कुछ लोग छोड़कर चल दिये हैं। मैं अभी तक काम कर रहा हूं। अच्छा वेतन मिलता है। जो मजदूरी सरकार दे रही है वह पेमेंट मुझे मिल रहा है।

10. **श्री चंदन दिवाकर, डेरागढ़ :—** समर्थन।

11. **श्री गंगाराम कंवर, डूमरपारा :—** एक आदमी को काम दिया है। बाहर के आदमी टिक जाता है। हम तो नहीं टिक सकते।

12. **श्री संतोष कुमार उरांव, डूमरपारा :—** समर्थन।

13. **श्री सुदधूराम यादव, डूमरपाराः—** मैं बालाजी में 12 साल से काम कर रहा हूं। मंदिर को बनाना चाहिए। काम चलना चाहिए।

14. **श्री रोहित कुमार यादव, डूमरपाराः–** पैसे को ग्राम विकास में लगाना चाहिए। गांव के युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। नियम के अनुसार काम मिलना चाहिए। बेरोजगारी तो हर गांव में रहती है। यदि गांव में रोजगार का साधन है तो वह गांव के बेरोजगारों को मिलना चाहिए। पूरे नियमानुसार भर्ती करना चाहिए। गांव के युवकों को रोजगार दें।

15. **श्री साधराम बंजारे, डूमरपाराः–** समर्थन।

16. **श्री रामकुमार कुर्रे, बाराद्वार बस्ती :–** बालाजी को समर्थन।

17. **श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, बाराद्वार बस्ती –** बालाजी को सपोर्ट करता हूं।

18. **श्री गौतम प्रसाद यादव, डूमरपाराः–** मैं बालाजी में काम करता था। मुझे बालाजी से निकाल दिया गया है। 02 साल से काम के लिए घूम रहा हूं, मैं क्या करू ?

19. **श्री मोहनलाल राठौर, डूमरपारा.:–** इस खदान में 1997 में 1500 लेबर काम करते थे। जिस जगह यह खदान संचालित है। वहां पर पहले सेमी गवर्नमेंट की खदान थी। बड़े झाड़ के जंगल हैं, क्या आज बड़े झाड के जंगल नहीं हैं ? इस खदान को कैसे परमिशन दिया गया। यह अवैधानिक है। काम देंगे, नौकरी में लेंगे कहा गया था। आज काम की तलाश में लोग बाहर जा रहे हैं। 02–04 इने गिने लोगों को काम दिये हैं। समर्थन नहीं मिलना चाहिए। समर्थन दे रहें हैं, क्या कारण से समर्थन दे रहे हैं ? क्या पैसा लेकर समर्थन दे रहे हो ? आर्थिक फायदा ग्राम पंचायत को खदान के तरफ से मिलना चाहिए। मैं तो विरोध में हूं।

20. **श्री फिरतराम साहू, डूमरपारा :–** जो बालाजी का खदान खुला हुआ है वहां से 100 मीटर की दूरी पर खदान क्रशर है। मेरा खेत धूले–धूल हो गया है। पौधा पूरा सफेद हो गया है। नीचे जो माइंस है मेरे खेत के पानी को पूरा खींच ले रहा है। मेरे खेत में फसल नहीं हो रहा है। मेरा आठ एकड़ जमीन पूरा बंजर हो रहा है। 5 क्विंटल धान पाया हूं। बहुत कम धान हुआ है। दो बार कलेक्टर कार्यालय में आवेदन लगा चुका हूं। लेकिन मेरा निराकरण नहीं हुआ है।

21. **श्री बड़कूराम कंवर, डूमरपारा, वार्ड नं. 04 :–** जो खदान को सरकार नहीं चला सका है तो बालाजी कंपनी क्या चलायेगा ?

22. **श्री रमेश चंद्रा, झालरौंदा :–** जनसुनवाई हो रहा है आज बालाजी मिनरल खदान जो 7 साल से संचालित है उसका मैं विरोध करने आया हूं। जनसुनवाई की सूचना बिलासपुर वाले नवभारत पेपर में छपा है। जनसुनवाई हो रहा है, यह जनता की सुनवाई नहीं बालाजी को लाभान्वित करने की जनसुनवाई है। डोलोमाईट खदान और मजदूर में पहले अच्छा संबंध था। बाराद्वार की आर्थिक स्थिति आज खराब हो गया है। खदान तो बहुत हो गया है पर खुशहाली नहीं है। 07 साल हो गया है बालाजी को खुले सड़क किनारे कभी एक पेड़ लगाया हो तो बता दे ? यह कई एकड़ गोचर जमीन को ओव्हर बर्डन से पाट दिया है। शोषण कर रहा है, गांव वाले से कोई रिश्ता नहीं है। लोकसनुवाई हम लोगों की दूरी को बढ़ा रहा है। छितापण्डरिया में जंगल है, ये उद्योगपति जंगल को खतम कर रहे हैं। अधिकारी लोग किसी काम के नहीं है। यह 1.5 लाख से खदान 3 लाख का उत्खनन कर रहा है, इसकी क्षमता को 1.5 लाख से 1 लाख करना चाहिए।

23. **श्रीमती फूलमती, डूमरपारा :–** पेंशन नहीं मिल रहा है।

24. **श्रीमती सावित्री केवट, डूमरपारा :–** समस्या अनेक होते हैं। हमारे गांव में पानी टंकी बना है जो 2 साल से बंद पड़ा है। उसका सुधार कार्य कराया जाना चाहिए। तालाब में पानी नहीं है। कंपनी द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। नदी, तालाब भरने के लिए नाली बनायी जाये।

25. **श्रीमती फूलकुंवर यादव, डूमरपारा :–** आदमी खतम हो गया है। पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं गरीब हूं।

26. **श्री नंदलाल बंजारे, डूमरपारा :–** खदान खोदकर यहां की सम्पत्ति को लेजाते हैं। गांव के विकास को नष्ट कर रहा है। नहीं खुलना है। गांव में प्रदूषण हो रहा है। हमारे गांव में खदान की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गांव को रोजगार नहीं देता है। हम लोग विरोध कर रहें है। शासन जबरदस्ती करेगा तो उसका जवाबदार खुद होगा।

27. **<u>श्रीमती दरसमती, डूमरपारा :–</u>** खदान को बंद करना चाहिए। पूरा नुकसान कर दिया है। किसी एक को भर्ती नहीं कर रहा है बदमाश है। गाय जिसमें चरते थे उसको पाट दिया है। उसको पूरा बंद करो।

28. **<u>श्रीमती उत्तरा बाई वैष्णव, डूमरपारा :–</u>** खदान बंद करना है। खुलना नहीं चाहिए। बेरोजगार लड़को को कोई काम नहीं दिया है। महिला समूह के मछली पालन को समाप्त कर रहा है तालाब को गंदा कर दिया है।

29. **<u>श्रीमती अमृता बाई राठौर, डूमरपारा :–</u>** मैं बालाजी खदान को बंद कराना चाहती हूं।

30. **<u>श्री दयाराम साहू, डूमरपारा :–</u>** डूमरपारा के लोगों को भर्ती नही किया है। इसका विरोध करते हैं। खोले तो खुद जाने।

31. **<u>श्रीमती नानबाई यादव, डूमरपारा :–</u>** पेशन नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास नहीं मिला है।

32. **<u>श्रीमती नहरबाई, खुर्दा पलाड़ी :–</u>** गांव में सेप्टिक नहीं है। इंदिरा आवास नहीं है।

33. **<u>श्रीमती कलाबाई, छितापंडरिया :–</u>** समर्थन।

34. **<u>श्री अर्जुन राठौर, जेठा :–</u>** यहां ऐसा लग रहा है कि बालाजी माइंस तथा शासन के साथ कुछ न कुछ हमजोली बन चुका है। समस्या को सुलझाया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं लगता है। अधिकारी छिप गये हैं। ऐसा कार्यक्रम उचित नहीं है। सभी लोग कह रहे है कि माइंस नहीं खुलना चाहिए। शासन बिकी हुई है, भोली भाली जनता बहुत परेशान है। आज पर्यावरण इतनी प्रदूषित हो चुकी है। बड़ी–बड़ी बीमारिया हो रही है। एक भी वृक्षारोपण नहीं है। अनदेखा किया जा रहा है क्यों कि सब बिके हुए हैं। हमारा खुल्ला विरोध है। इस विरोध के बाद भी शासन नही समझती है तो हम छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की ओर से उग्र आंदोलन करेंगे।

35. **श्री भगवानदास टंडन, डूमरपारा :–** शिक्षित बेरोजगार हूं। गांव के लोग उम्मीद करते थे कि रोजगार मिलेगा, लेकिनसहयोग नहीं मिला। माइन खुलने से पशु, जंगली पक्षी समाप्त हो गये। पर्यावरण खतम हो गया । पशुओं का चारागाह खतम हो गया। कई हजार पशु खतम हो गये। दूध नहीं मिलता। महामारी रोग फैल गया। हमारे गांव की जमीने और हमें ही काम नहीं मिल रहा है। बाहर के आदमी को काम पर रखा गया है। डूमरपारा खदान हटाया जाये।

36. **श्री कृष्णा, बाराद्वार :–** मैं बेरोजगार हूं। मेरे साथ और भी साथी हैं। वे सब घूम रहे है। बालाजी खदान खुले या न खुले सबको रोजगार मिलना चाहिए।

37. **श्री संतोष कुमार यादव, डूमरपारा :–** कंपनी का विरोध होते आ रहा है मैं भी विरोध कर रहा हूं। यहां से अरबो रूपये कमा कर ले गये। डूमरपारा का विकास नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला।

38. **श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी, बाराद्वार :–** खदान का विस्तार हो रहा है, गलत है। यदि ऐसा खदान खुलता है तो छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन होगा।

39. **श्री विवेक, बाराद्वार :–** बालाजी का विस्तार होना चाहिए।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्‌दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री मोतीलाल महंता, परियोजना खदान प्रबंधक, **मेसर्स श्री बालाजी मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–डूमरपारा** के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्‌दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 58 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 39 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 81 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अपर कलेक्टर
जांजगीर–चांपा